महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – बयासीवां संस्करण (माह जनवरी, 2023)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी एवं सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन
3. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–एक
4. लैंगिक समानता
5. मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं हेतु स्वरोजगार की नवीन योजनाएं
6. आवास से आजीविका प्राप्ति की दिशा की ओर बढते कदम
7. आजीविका मिशन से हो रही महिलाएं सशक्त
8. सागर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत निर्मित खेत–तालाब किसानों के लिये बने वरदान

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री मलय श्रीवास्तव (IAS)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870
Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का बयासीवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2023 का प्रथम मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना, जनपद पंचायत विकास योजना जिला पंचायत विकास योजना एवं सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यशाला का आयोजन 9 दिसम्बर 2022 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान बरखेड़ी कला भोपाल में किया गया। जिसे **''सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी एवं सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन''** आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

साथ ही संस्करण में **''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–एक''**, **''लैंगिक समानता''**, **''मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं हेतु स्वरोजगार की नवीन योजनाएं''**, **''आवास से आजीविका प्राप्ति की दिशा की ओर बढते कदम''**, **''आजीविका मिशन से हो रही महिलाएं सशक्त''** एवं **''सागर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत निर्मित खेत–तालाब किसानों के लिये बने वरदान''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत जीपीडीपी, बीपीडीपी, डीपीडीपी एवं सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना, जनपद पंचायत विकास योजना जिला पंचायत विकास योजना एवं सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यशाला का आयोजन 9 दिसम्बर 2022 को क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान बरखेड़ी कला भोपाल में किया गया।

पंचायत भारत की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रही है भारत की पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अनूठा स्थानीय स्वशासन उपलब्ध कराती है संविधान के 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को एक समान रूपरेखा प्रदान की गई है एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर संस्था के रूप में काम करने आर्थिक सामाजिक और न्याय के लिए योजना बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं क्रियान्वित करने का दिया गया है इसी तारतम्य में वर्ष 2018 से निरंतर ग्राम पंचायत विकास योजना सबकी योजना सबका विकास,जन योजना अभियान अंतर्गत प्रतिवर्ष पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जा रही हैं, पंचायत के सभी तीनों स्तरों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना का दायित्व अनिवार्य रूप से सौंपा गया है इस हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना जनपद पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण को ध्यान में रखकर तैयार करना है 2 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक यह अभियान संचालित किया जा रहा है

इस एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन एवं समन्वय हेतु सतत विकास के 17 लक्ष्य एवं ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय सतत

विकास के 9 लक्ष्यों को स्थानीयकरण करने का उद्देश्य है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना जनपद पंचायत विकास योजना एवं जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को समझाया गया एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ संचालक पंचायत राज भोपाल श्री अमरपाल सिंह जी एवं संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण एवं पंचायत राज संस्थान अधारताल जबलपुर के डॉ संजय कुमार सराफ के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया, आदरणीय संचालक पंचायत राज द्वारा सबकी योजना सबके विकास के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों को अपनी अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करनी है एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित 9 थिमेटिक विषयों को लिया जाकर 31 जनवरी तक इसे पूर्ण किया जाना है, संचालक महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान अधारताल जबलपुर द्वारा सबकी योजना सबके विकास के सफल क्रियान्वयन हेतु पारदर्शिता सहभागिता एवं समयबद्वता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई।

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सभी जिलों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी संस्थान एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य संकाय सदस्य प्रोग्रामर आदि कुल 88 प्रतिभागियों ने सहभागिता दी गई। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के संकाय सदस्य डॉक्टर संजय कुमार राजपूत द्वारा किया गया, इनके द्वारा जनपद पंचायत जिला पंचायत विकास योजनाओं के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण विषय एवं 15 वित्त आयोग की जानकारी प्रदान की गई । कार्यक्रम के प्रथम सत्र में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान के संकाय सदस्य श्री सुरेंद्र प्रजापति एवं श्री पंकज राय द्वारा सब की योजना सबके विकास 2022 का परिचय उद्देश्य एवं सतत विकास के लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयों पर चर्चा की गई, श्री पंकज राय द्वारा जीपीडीपी बीपीडीपी एवं डीपीडीपी की पृष्ठभूमि संवैधानिक प्रावधान इनको तैयार करने की प्रक्रिया मुद्दे और चुनौतियों पर चर्चा की कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में ग्राम पंचायत जनपद पंचायत जिला पंचायत योजनाओं के लिए शासन के स्तर से किए जाने वाले कार्य के विषय में चर्चा करते हुए श्री निलेश कुमार राय संकाय सदस्य ने विस्तृत जानकारी प्रदान की कार्यक्रम के तृतीय सत्र में जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला विकास योजना की तैयारी हेतु डॉ त्रिलोचन सिंह सदस्य सदस्य नई जानकारी प्रदान की कार्यक्रम के अंतिम सत्र में संस्थान के प्रोग्राम श्री आशीष कुमार दुबे द्वारा कार्यक्रम से संबंधित ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम मानचित्र भवन पोर्टल आदि की तकनीकी जानकारी प्रदान की।

सुरेन्द्र प्रजापित
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) का स्वरूप एवं प्रावधान, भाग–एक

मध्यप्रदेश में पंचायतों का संचालन ''मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इस लेख के माध्यम से आपको मध्यप्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में लागू किये गये प्रावधानों की जानकारी दी जावेगी।

इस लेख में अधिनियम के प्रावधानों की सूची दी जा रही है। लेख की विषय–वस्तु के विस्तार को ध्यान में रखते हुये लेख को भागों में विभाजित किया गया है जो आगे के अंकों में भी प्रकाशित किया जावेगा। इस लेख के भाग–एक में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के स्वरूप का परिचय दिया जा रहा है। इस अधिनियम में 1 से 15 तक अध्याय, 1 से 132 तक धाराएं, 1 से 4 तक अनुसूचियां दी गई हैं। इसके साथ ही साथ राज्य शासन द्वारा पंचायतों से संबंधित नियम भी बनाये गये हैं। इन्हीं सब के माध्यम से पंचायतें अपना काम करतीं हैं। अधिनियम में 1 से 15 तक अध्यायों के शीर्षक निम्नानुसार हैं :–

अध्याय 1 –प्रारंभिक धारा 1 से 2 तक

अध्याय 2– ग्राम सभा धारा 3 से 7 तक

अध्याय 3– पंचायतों की स्थापना धारा 8 से 41 तक

अध्याय 4– निर्वाचन का संचालन धारा 42 से 43 तक

अध्याय 5– पंचायतों के कामकाज तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया धारा 44–48

अध्याय 6– पंचायतों के कृत्य धारा 49 से 61 तक

अध्याय 6–क– कॉलोनी निर्माण धारा 61 क से 61छ तक

अध्याय 7– पंचायत की निधि और उसकी सम्पत्ति धारा 62 से 68 तक

अध्याय 8– पंचायतों की स्थापना, बजट तथा लेखे धारा 69 से 73 तक

अध्याय 9– कराधान और दावों की वसूली धारा 74 से 83 तक

अध्याय 10– नियंत्रण धारा 84 से 94 तक

अध्याय 11– नियम और उपविधियॉ धारा 95 से 97 तक

अध्याय 12– शास्ति धारा 98 से 106 तक

अध्याय 13– प्रकीर्ण धारा 107 से 128 तक

अध्याय 14– संपरीक्षा धारा 129

अध्याय 14–क– अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध धारा 129–क से 129– च तक
अध्याय 15– निरसन धारा 130 से 132 तक
इसके साथ ही साथ 1 से 4 तक अनुसूची दी गई है।

इस प्रकार से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धारां एवं 4 अनुसूचियां दी गई हैं। मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 1 से 4 तक में उल्लेखित धाराओं की सूची निम्नानुसार है :–

अध्याय 1 –प्रारंभिक

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
(2) परिभाषाए

अध्याय 2– ग्राम सभा

(3) ग्राम के संबंध में अधिसूचना
(4) ग्राम की मतदाता सूची
(5) ग्राम के मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन (पंजीयन)
(5–क) ग्राम सभा का गठन और नियमन
(6) ग्राम सभा का सम्मिलन
(6–क) ग्राम सभा का विशेष सम्मिलन
(6–ख) ग्राम सभा का सचिव
(6–ग) ग्राम सभा का विनिश्चय
(7) ग्राम सभा की शक्तियॉ और कृत्य और उसका वार्षिक सम्मिलन
(7–क) ग्राम सभा की स्थायी समिति तथा तदर्थ समिति
(7–ख) समिति के सभापति तथा सदस्य
(7–घ) समिति की शक्तियॉ, कृत्य तथा कर्तव्य
(7–ङ) सदस्य का हटाया जाना
(7–च) ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति की शक्तियॉ
(7–छ) स्थायी समिति का सचिव
(7–छ क) ग्रामसभा की दीर्धकालिक विकास योजना का तैयार किया जाना
(7–छ ख) ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकस समिति के अध्यक्ष ओर सदस्यों के विरूध्द अनुशासनिक कार्यवाही
(7–ज) ग्राम सभा के विनिश्चय के विरूध्द समिति को अपील
(7–झ) बजट

(7–ञ) ग्राम कोष

(7–ट) लेखा तथा संपरीक्षा

(7–ठ) सरकारी कर्मचारियों पर नियंत्रण

(7–ड) ग्राम सभा के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति

अध्याय 3– पंचायतों की स्थापना

(8) पंचायतों का गठन

(9) पंचायत की अवधि

(10) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना

(10–क) विहित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् पंचायतों के परिसीमन और पंचायतों के वार्डो या निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का निरस्तीकरण

(11) पंचायतों का निगमन

(12) ग्राम पंचायतों का वार्डो में विभाजन

(13) ग्राम पंचायत का गठन

(14) मत देने तथा अभ्यार्थी होने के लिए अर्हता

(15) एक साथ सदस्यता का प्रतिषेघ

(16) लुप्त

(17) सरपंच और उपसरपंच का निर्वाचन

(18) बर्हिगामी सरपंच व्दारा कार्यभार का सौपा जाना

(19) निर्वाचन की अधिसूचना

(20) प्रथम सम्मिलन की पदावधि

(21) सरपंच ओर उपसरपंच के विरूध्द अविश्वास प्रस्ताव

(21–क) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना

(22) जनपद पंचायत की संरचना

(23) खण्ड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन

(24) लुप्त

(25) जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(26) सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन

(27) प्रथम सम्मिलन और पदधारी

(28) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूध्द अविश्वास प्रस्ताव

(29) जिला पंचायत का गठन

(30) जिले का निर्वाचन क्षेत्रो में विभाजन

(31) लुप्त

(32) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

(33) सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का प्रकाशन

(33–क) लिपिकीय गलतियों या लोप का ठीक किया जाना

(34) प्रथम सम्मिलन ओर पदावधि

(35) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरूध्द अविश्वास प्रस्ताव

(36) पंचायत का पदधारी होने के लिये निरर्हताए

(37) पंचायत के पदधारियों व्दारा त्यागपत्र

(38) रिक्तियों का भरा जाना

(39) पंचायत के पदधारी का निलंबन

(40) पंचायत के पदधारियों का हटाया जाना

(41) एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन

अध्याय 4–निर्वाचन का संचालन

(42) राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियॉ

(42–क) अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को नियुक्त करने और उनके कर्तव्यों और कृत्यों को समनुदेशित करने की शक्ति

(43) नियम बनाने की शक्ति

अध्याय 5– पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया

(44) सम्मिलन की प्रक्रिया

(45) पंचायत व्दारा अन्तिम रूप से निपटाए गये बिषयों पर पुर्नविचार

(46) ग्राम पंचायत की स्थायी समितियॉ

(47) जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियॉ

(47–क) त्यागपत्र

(47–ख) सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधि–मान्यता के संबंध में विवाद

(48) सरपंच/उपसरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियॉ और कर्तव्य

अध्याय 6 – पंचायतों के कृत्य

(49) ग्राम पंचायत के कृत्य

(49–क) ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य

(50) जनपद पंचायत के कृत्य

(51) राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौपा जाना

(52) जिला पंचायत के कृत्य

(53) पंचायतों के कृत्यों के सम्बन्ध में राज्यसरकार की शक्ति

(54) सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाए और सुरक्षा की बाबत ग्राम पंचायत की शक्तियॉ

(55) भवनों के परिनिर्माण पर नियंत्रण

(56) सार्वजनिक मार्ग तथा खुले स्थानों पर रूकावटें, बाधा तथा अधिक्रमण

(57) मार्गो का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति

(58) बाजारों या मेलों का विनियमन

(59) सडकों को धुमाव देने, मोडने, चालू न रखने या बंद करने की जनपद पंचायत की शक्ति

(60) जनपद पंचायत में निहित सडकों और भूमियों पर अधिक्रमण

(61) समझौता करने की शक्ति

अध्याय 6 अ कालोनाईजर

(61–क) परिभाषाएं

(61–ख) कालोनी निर्माण करने वाले का रजिस्ट्रीकरण

(61–ग) कालोनियों का विकास

(61–घ) अवैध कालोनी निर्माण के लिए दण्ड

(61–ङ) अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दण्ड

(61–ङ क.) अवैध व्यपवर्तन के या अवैध कालोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में के भूखण्डों के अंतरण का शून्य होना

(61–छ) अवैध कालोनी में अंर्तग्रस्त भूमि का समपहरण

इस प्रकार से मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अध्याय 5 में पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया, अध्याय 6 में पंचायतों के कृत्य एवं अध्याय 6–क में कॉलोनी निर्माण से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। आगे के अंक में अधिनियम के आगे के अध्यायों में उल्लेखित धाराओं की जानकारी दी जावेगी।

इस प्रकार से अभी तक इस लेख में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के अध्याय 1 से 6 तक में उल्लेखित धाराओं की सूची दी है। आगे के भाग में अधिनियम की शेष धाराओं एवं नियमों, इत्यादि विषयों पर जानकारी दी जावेगी।

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

लैंगिक समानता

प्रस्तावना – शुरूआती दिनों से पुरूष–महिला के बीच असमानता एक आम मुददा रहा है। यह बहुत दुखद है कि, मनुष्य में जैविक अन्तर सभी प्रकार के महत्व और अधिकारो को कैसे बदल सकता है। जन्म से लेकर शादी तक, नौकरियों से लेकर जीवन शैली तक, दोनों लिगों को मिलने वाली सुविधाओ और महत्व को अलग–अलग करते है।

लैंगिक समानता क्या है ? – यह वह अवस्था है जब सभी मनुष्य अपने जैविक अन्तरों के बाबजूद सभी अवसरों, संसाधानो आदि के लिए आसान और समान पहुँच प्राप्त कर सकते है। उन्हें अपना भविष्य विकसित करने में समानता, आर्थिक भागीदारी में समानता, जीवन शैली के तरीके में समानता, निर्णय लेने कि स्वंतत्रता देने में समानता, जीवन में लगभग हर चीज में समानता लाने कि अनुमति दी जानी चाहिए।

लिंग समानता पर चर्चा करने की आवश्यकता – हम सभी जानते है कि जागरूकता कि कमी और असमानता के कारण समाज में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। गर्भ में भी, उन्हें यह सोच कर मारा जा रहा है कि वे परिवार के लिए बोझ बनने वाली है। उनके जन्म के बाद भी उन्हें धर के कामों से जोड़ा जाता है ओर उन्हें शिक्षा, अच्छी नौकरी आदि से वंचित रखा जाता है।

लिंग समानता आमतौर पर पुरूषों – महिलाओं दोनों के लिए सभी चरणों में समानता देना है, चाहे वे अपने धर में हो या चाहे उनकी शिक्षा में हो या नौकरी में हो। लैंगिक समानता के बारे में इस चर्चा का उदेश्य परिवार, समाज और दुनिया में, पुरूष–महिलाओं द्वारा तय कि गई सभी सीमाओं और सीमाओं को तोड़ना है, ताकि वे अपने लक्ष्यों को स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सके।

प्राचीन काल से विभिन्न लिंगो के लिए कुछ रूढ़ियाँ और भूमिकाएँ निर्धारित कि जाती रही है जैसे पुरूष घर में पैसा लाने के लिए है और महिलाएं घर के काम के लिए है, परिवार की देखभाल के लिए है, आदि । पुरूष और महिला दोनों को बाहरी दुनिया कि चिंता करने के बजाए अपने सपनों का पालन करने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर आना चाहिए।

यह चर्चा महिलाओं को वह सब कुछ खोजने के बारे में नहीं है जो पुरूष दुसरे तरीके से कर सकते है। यह लिंग के अन्तर और व्यवहार दोनों को देने और सम्मान करने के बारे में है। हम कई मामलों में देखते है कि, महिलाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस चर्चा से परिवार और महिलाओं, दोनों को अपने अधिकारो को समझने में मदद मिलेगी। हालांकि यह केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि पुरूषों को भी लिंग असमानता का सामना करना पड़ता है, जब वे सामान्य से अलग कैरियर का चुनाव करते है।

अंत में लैंगिक समानता का अर्थ है कि सभी लिंगो का समान रूप से सम्मान और सुविधा/अधिकार देने का प्रयास सशक्त रूप में किया जाना चाहिए ।

शशांक भार्गव
संकाय सदस्य

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं हेतु स्वरोजगार की नवीन योजनाएं

मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के जीवनस्तर में सुधार लाने और उन्हें स्वरोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में तीन नवीन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इनमें श भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवम मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शमिल हैं। इन योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल हैं।

1. भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना

परियोजना राशि –

- उद्योग विनिर्माण इकाई (Manufacturing) के लिए रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाएं।
- सेवा (Service sector) एवं खुदरा व्यवसाय (Retail) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाएं।

पात्रता –

- आयुसीमा 18 से 45 वर्ष।
- न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण ।
- परिवार की वार्षिक आय रु 12 लाख से अधिक ना हो।

वित्तीय सहायता –

योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों को बैंक द्वारा वितरित/ शेष (Outstanding) ऋण (Term loan and working capital loan) पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस योजना में गारंटी फीस मध्यप्रदेश शासन की है।

प्रशिक्षण –

- हितग्रहियों को 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन/ ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल द्वारा दिया जायेगा।

- इस योजना अंर्तगत विनिर्माण , सेवा एवम व्यवसाय क्षेत्र की ऐसी सभी परियोजनाएं पात्र होंगी जो CGTMSE (Credit Guaranty Fund Trust for Micro and Small Enterprises) अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।

योजना का क्रियान्वयन –

राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल तथा जिला स्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन। योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा विकसित पोर्टल, समस्त पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत आवेदन करने पर भी उसे इस योजना अंतर्गत पात्रता की स्थिति में लाभ प्राप्त होगा।

2. टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना

परियोजना राशि

सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु राशि रु 10000/ से रु 1 लाख तक की परियोजनाएं।

पात्रता –

- आयुसीमा 18 से 55 वर्ष।
- आयकर दाता ना हो।

वित्तीय सहायता –

अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्रहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term loan and working capital loan) पर प्रतिवर्ष 7 : ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस योजना में फीस गारंटी मध्यप्रदेश शासन की है।

प्रशिक्षण –

- हितग्रहियों को 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन / ऑफलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल द्वारा दिया जायेगा।
- इस योजना अंतर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की ऐसी सभी परियोजनाएं पात्र होंगी जो CGTMSE अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र हैं।

क्रियान्वयन –

इस योजना का संचालन राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल तथा जिला स्तर पर सहायक आयुक्त/जिला संयोजक/शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवम महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन शासन द्वारा विकसित समस्त पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

3. मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना

- इस योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हित में विभिन्न लाइन विभागों पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी आदि विभागों अथवा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऐसे परियोजना प्रस्ताव, जो कि लाइन विभागों की किसी प्रचलित योजना में किया जाना संभव न हो तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हो का शासन अनुदान से वित्त पोषण किया जाएगा।
- इसमें परियोजना राशि अधिकतम रु 2 करोड़ है।

पात्रता –

- परियोजना अंर्तगत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से हों।
- लाइन विभागों से प्राप्त राशि रु 2 करोड़ तक के ऐसे प्रस्ताव , जो कि लाइन विभागों की किसी भी योजना में किया जाना संभव न हों, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं आवश्यक हों।

वित्तीय सहायता –

शासन स्वीकृति के आधार पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की संपूर्ण परियोजना लागत राशि शासन द्वारा अनुदान के रुप में प्रदान की जाएगी।

मुख्य गतिविधियां –

इस योजना अंतर्गत आजीविका, स्वरोजगार , कौशल उन्नयन एवं नवाचार से संबंधित सामुदायिक अधोसंरचना निर्माण तथा सहायक गतिविधियों को लिया जा सकेगा।

क्रियान्वयन –

राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल हैं। लाइन विभागों/जिला कलेक्टर से नोडल एजेंसी को प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को विभागीय अनुशंसा के बाद अंतिम रूप से मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य परियोजना क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन उपरांत स्वीकृति शासन द्वारा दी जाएगी। योजना का क्रियान्वयन लाइन विभाग/जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.

आवास से आजीविका प्राप्ति की दिशा की ओर बढते कदम

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में मेरा का प्रहलाद अहिरवाल निवासी ग्राम पंचायत नोहटा का नाम चयन होने से पहले वह और 04 बच्चों का परिवार खपरे जैसे कच्चे मकान में रहते थे । वारिस के समय कभी छत से पानी टपकता तो कभी तेज वारिस में मकान में पानी भर जाता था। वारिस के मौसम में पूरा परिवार कभी सो नहीं पाता था, घर का सारा सामान एवं अनाज पानी से भीगा हुआ रहता था। 4–5 बार तो मकान की बरसाती वाली छत तेज हवा में खराब हो जाती या उड़ जाती थी। घर में कभी जहरीले कीड़े भी आ जाते थे, जिससे मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता होती थी । वारिस में अक्सर घर में कोई न कोई बीमार रहता था। सर्दी में ठंडी हवा सीधे हमें लगती थी और हमारे पास इतने साधन भी नहीं है कि ठंडी हवाओं में अपने आप को बचा सकें। बच्चे भी अपनी पढाई नहीं कर पाते थे। इस परेशानियों का असर पहले मेरे काम पर पडता था और साफ सफाई न होने के कारण बीमार भी रहता था, आमदनी से ज्यादा खर्च तो पुरे परिवार की दवाई और अस्पता में चला जाता था ।

वर्तमान स्थिति –

वर्ष 2019–20 कोरोना काल में प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास स्वीकृत हुआ। सबसे पहले उसे अपना पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त 25000रू. दिनांक 29–05–2020, दूसरी किस्त 40000 रू. दिनांक 17–07–2020 तीसरी किस्त 40000 रू. दिनांक 27–07–2020 एवं चौथी किस्त 15000 रू दिनांक 01–09–2020 को कुल राशि 1.20 रू खाते में प्राप्त हुए। परिवार बडा होने के कारण एक कमरे के मकान में सभी का रह पाना संभवं नहीं था आवास प्राप्त के पूर्व ही पुत्र सुरेन्द्र अहिरवाल का चयन राजमिस्त्री प्रशिक्षण हेतु हुआ था जिससे प्राप्त राशि आवास बनाने हेतु इकठ्ठा करके रख रहा था सुरेन्द्र अहिरवाल को कुल राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्य से 1.35 रू प्राप्त हुये जिस कारण मैनें अपना आवास कुल चार कमरों का मकान शासन के सहयोग से बनाना शुरू किया जिसमें मेरे सभी चारों पुत्रों द्वारा कार्य किया

गया एवं मेरा पुत्र सुरेन्द्र अहिरवाल जिसने स्वयं अपने घर में जुडाई/ मजदूरी का कार्य किया जिसकी समस्त राशि आवास निर्माण में लगाकर सभी पुत्रों के रहने के लिए चार कमरे का मकान बनवाया है। अपने पक्के मकान में शौचालय का निर्माण भी किया है। घर में वारिस में पानी नहीं भरेगा, शौचालय होने के अब परिवार साफ सफाई से रहता हे । प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से पुरे परिवार में खुशहाली है एवं पक्का मकान का सपना सच हुआ ।

अन्य शासकीय योजनाओं से लाभ –

परिवार अति गरीब स्थिति में था जिस कारण मुझे बीपीएल (अतिगरीबी) कार्ड से 35 किलो अनाज प्रत्येक माह प्राप्त होता है ।

विद्युत कनेक्शन एवं प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से गैस कनेक्षन प्राप्त हुआ है अभी माह अक्टूबर 2020 में मेरी उम्र 60 वर्ष होने से वृद्वावस्था पेंषन 600 रू. प्रति माह स्वीकृत हुआ है ।

आवास से आजीविका प्राप्ति की दिशा

पुत्र सुरेन्द्र ने आवास योजना के अतर्गत प्राप्त होने वाले डेमोस्ट्रेटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया जिससे उसने मेरे आवास निर्माण सहयोग किया गया साथ ही अपने सभी भईओ को मिस्त्रीगिरी का काम भी सिखाया जिससे आज मेरे सभी चारो पुत्र ग्राम के साथ–साथ पंचायत के सभी ग्रामों मे आवास निर्माण के कार्य लगे हुये है जिससे मेरे परिवार के जीवनयापन में सुधार होने के साथ–साथ परिवार की आय में भी अच्छी बढ़ोत्तरी हुई ।

प्रहलाद अहिरवाल और पत्नि श्यामरानी अहिरवाल एवं पूरे परिवार की तरफ से निजी तौर पर इस कहानी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जिससे मेरे पक्के मकान का सपना सच हो गया एवं अन्य शासकीय योजना से मुझे लाभांवित किया गया है ।

झनक सिंह कुहकुटे
संकाय सदस्य

आजीविका मिशन से हो रही महिलाएं सशक्त

अब देखा जा रहा है कि महिलाएं किसी भी कार्यक्षेत्र में पीछे नहीं है प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही है और अपना नाम का शौर्य बढ़ा रही है अब कोई भी महिला समाज में बेचारी या अबला नहीं रही बशर्ते महिला में स्वयं कार्य करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प होना जरूरी है, समाज में रहने वाली हर महिला अपने कार्य में कठिन परिश्रम कर समाज, परिवार एवं स्वयं का नाम रोशन कर सकती है।

इसी जूनून एवं आत्म विश्वास की एक कहानी मध्यप्रदेश राज्य के दमोह जिले की जनपद पंचायत बटियागढ़ की ग्राम पंचायत आलमपुर की गीता लोधी जी की है। जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ एवं उनके माता–पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गीता लोधी जी दसवीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई और उसके बाद गीता लोधी जी के माता–पिता ने उनका विवाह कर दिया पर जहां विवाह हुआ वह परिवार भी आर्थिक रूप से कमजोर था तो वह आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाई और गीता लोधी जी थोड़ी बहुत सिलाई मशीन का काम जानती थी इसी सिलाई मशीन से गांव एवं गांव के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के कपड़े सिलकर अपने परिवार एवं बच्चों का भरण–पोषण करती रही थी।

सिलाई मशीन के इस कार्य से सिर्फ आवश्यकताओं की ही पूर्ति हो पाती थी। परन्तु उनका खर्च सही ढंग से नहीं चल पाता था, और आर्थिक तंगी बनी ही रहती थी परिवार में कोई बीमार हो जाए या फिर बच्चों की शिक्षा शुल्क जमा करनी पड़े तो फिर गांव में ही किसी से कर्जा लेकर काम चलाना पड़ता था। फिर वो सिलाई मशीन का काम ज्यादा करके धीरे–धीरे पैसा इकट्ठा करती थी और खर्च बचाकर लोगों का कर्जा दिया करती थी।

फिर एक दिन ग्राम पंचायत आलमपुर में आजीविका मिशन के विकास खण्ड प्रबंधक श्री विवके शुक्ला जी ने गांव की कई महिलाओं को समूह के बारे में बता रहे थे की समूह क्यू बनाना चाहिये क्यू गठन करना चाहिए, वचत करने के क्या फायदे है,

तभी गीता जी ने देखा कि गांव की कुछ महिलाएं इकट्ठा हो रही है, एक साथ बैठी हुई पर ये लोग इकट्ठे बैठकर क्या कर रही है तो गीता भी इन महिलाओं के पास बैठी और बाते को सुनी तो गीता को पता लगा कि अरे हमारे गांव में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं के स्वयं के समूह बने है और हमें इसकी जानकारी नहीं है और हम लोग इनसे बंचित है फिर धीरे–धीरे गीता महिलाओं के समूह में बैठने लगी और अपनी सहभगिता भी देने लगी तो गीता को लगा की हमें भी समूह बनाना चाहिए और समूह से जुड़कर काम करने में फायदा हो सकता है वो कहते है ना कि महिला में अगर जूनून एवं विश्वास है तो कोई भी लक्ष्य कितना ही मुशकिल क्यू न हो हासिल कर सकती है गीता ने भी ठान लिया की हमें भी महिलाओं का समूह बनाना है और हम लोगों को भी मिलकर समूह में काम करना है।

गीता जी ने गीता नाम का एक समूह बनाया जिसमें लगभग 10–12 महिलाएं कार्य कर रही है एवं समूह समय –समय पर बैठक एवं वचत कर समूह की ग्रेडिंग करवा कर समूह को व्यवस्थित किया। गीता जी के समूह ने फिर रिवाल्विंग फंड सामुदायिक निवेश निधि बैंक लिकेंज खाध प्रसंस्करण इकाई कर समूह को व्यवस्थित संचालित कर समूह के माध्यम से मशाला मशीन का क्रय किया जो आजीविका मिशन की सहायता से प्राप्त हो पाई है गीता जी समूह में कार्य के अतिरिक्त बैंक सखी एवं सी.आर.पी. का कार्य भी संधारित कर रही है

इस मशाला मशीन का उपयोग कर समूह की प्रत्येक महिला अपना भरपूर योगदान कर आजीविका का साधन जीवन की आपूर्ति के लिये मिला है एवं सभी महिलाएं अब इस कार्य में व्यस्त भी रहती है और इस मशाला मशीन से मशाला बनाकर अपने आस पास के गांव एवं गांव से लगे दमोह शहर के बाजार में भी स्थान बना लिया है, इन समूह की महिलाएं मशाला का काम थोक एवं फुटकर में विक्रय कर अपनी आजीविका बनाए हुए है इस मशाला मशीन से सभी महिला सदस्यों में खुशी की लहर है और समूह की प्रत्येक महिलाओं को एक महिना में 12000 रूपये की आय होती है और प्रत्येक महिला की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ जीवन का खर्ख भी व्यवस्थित चलने के साथ–साथ ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हुई है ऐसी आवश्यकता और आजीविका का साधन विश्व एवं भारत में रहने वाली सभी महिलाओं को मिले एवं अनेक योजनाओं से लाभान्वित हो इसी आशा के साथ.....

लवली मिश्रा
संकाय सदस्य

सागर जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत निर्मित खेत–तालाब किसानों के लिये बने वरदान

सागर बुन्देलखण्ड क्षेत्र का जिला है। सूखा और जलसंकट बुंदेलखंड की ऐसी पहचान रही है, जिसे बदलने की कसक हर बुंदेलखंडवासी को है। बारिश के सीजन में औसत से कम बारिश होना और गर्मियों के आते ही जल स्रोतों का सूख जाना भी यहां के कई क्षेत्रों की समस्या है। इन सबकी वजह से कई क्षेत्रों के किसान सिर्फ एक ही फसल की खेती कर पाते हैं तो कहीं पर लोगों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ता है। इन सबके बीच बुंदेलखंड में ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजन परियोजना के अंतर्गत चयनित क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन की तस्वीर सूखे से परेशान बुंदेलखंड से बिल्कुल उल्टी है।

सागर जिले में गांव का पानी गांव में" "खेत का पानी खेत में, की अवधारणा पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत 05 विकासखण्डों (रहली, खुरई, केसली, बण्डा एवं शाहगढ) में सिंचाई के लिये खेत तालाब का मॉडल अपनाया गया है। इसके तहत 1521 किसानों के खेतों में खेत तालाब निर्मित कराये गये है। इन तालाबों से 4636 हेक्टेहयर भूमि में सिंचाई सुविधा का सृजन हुआ है। सागर जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये जिला स्त्रीय श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरूस्कार प्रदाय किया गया।

आईडब्लूएमपी परियोजना क्र. 25

विकासखंड रहली के अन्तर्गत संचालित परियोजना क्र. 25 का स्वीकृत क्षेत्रफल 5449 हेक्टेयर जिसके अन्तर्गत कुल 10 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। परियोजना की स्वीकृत लागत 653.88 लाख तथा वर्तमान तक परियोजना निधि का कुल व्यय 651.89 लाख है। इस परियोजना प्रारंभ से पूर्व इन 10 ग्राम पंचायतों के 13 ग्रामों में सिचाई के साधन न होने से कृषकों को एक से अधिक फसल प्राप्त नहीं हो पाती थी। ग्राम पंचायतो के द्वारा दिये गये निर्णय से संपूर्ण परियोजना क्षेत्र में वृहद स्तर पर कृषकों की निजी भूमि पर 320 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। परियोजना क्षेत्र में परियोजना निधि से निर्मित संरचनाओं के द्वारा 951.86 हेक्टेयर अतिरिक्त सिचाई का रकबा बढ़ा है।

ग्राम पंचायत पिपरिया गोपाल

जिले की रहली जनपद की ग्राम पंचायत पिपरियागोपाल जहां 5 साल पहले तक ग्रामीण जन सूखे और जल संकट से परेशान थे। इस गांव में वाटरशेड परियोजना के तहत किसानों के खेतों में निजी भूमि पर 87 खेत तालाब बनाये गये है। ग्राम पंचायत पिपरियागोपाल का कुल क्षेत्रफल 1158 हेक्टेरयर है। ग्राम पंचायत पिपरियागोपाल में 118.74 लाख रूपये की लागत से 87 खेत तालाब बनाये गये है। इन खेत तालाबों से 254.04 हेक्टेंयर भूमि सिंचित हो रही है साथ ही निर्मित तालाबों से ग्राम का भूजल स्तर भी बढा है।

निर्मित संरचनाओं के प्रभाव –

- रवि फसल हेतु 254.04 हेक्टेयर सिचित क्षेत्र में बढोत्तरी प्राप्त हुई।
- ग्राम पंचायत के 75 प्रतिशत से अधिक कृषक स्प्रिकलर पद्वति से सिंचाई कर रहे है एवं पर ड्रोप मोर क्राप के सिद्वांत का पालन कर अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे है।
- जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में वेस्ट पंचायत की कैटेगरी में प्रथम पुरूस्कार प्राप्त हुआ
- ग्राम पंचायत के भूजल स्त्रोतो के स्तर में 1.5 से 2 मीटर की वृद्वि प्राप्त हुई है।
- ग्राम पंचायत के एकफसलीय रकवा में 40.2 हेक्टेयर एवं द्विफसलीय में 368 हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र की बढोत्तरी हुई है।
- खरीफ एवं रवि की फसल उत्पादकता में 18 से 35 प्रतिशत तक की वृद्वि हुई है।

खेत तालाब संरचना के प्रभाव का आकलन– देवेन्द्र पिता ओमकार की स्वयं की भूमि पर खेत तालाब निर्मित होने से खेत की लगभग 1.5 से 2 एकड भूमि जो की असमतल थी वह समतल होकर कृषि योग्य हुई है। खेततालाब खोदे जाने से लगभग 3500 घनमीटर मिट्टी बहार निकाली गई उसका उपयोग खेत के

समतलीकरण एवं खेत में पानी के ढाल के अनुरूप मेढबंधान का कार्य कराया गया जिससे भूमि में अतिरिक्त नमी में बढोत्तरी हुई है। हितग्राही पहले खरीफ सीजन में 3 एकड एवं रवि सीजन में 1.5 रकबे में फसल ले पाता था। वह अब 5 एकड रकबे में प्रत्येक सीजन में फसल प्राप्त कर रहा है। रवि सीजन में इस वर्ष कृषक ने 5 एकड भूमि पर पहली बार पूरे खेत में चना की खेती की है। चने की फसल को खेततालाब के माध्यम से 2 पानी दिये जा चुके है एवं 1 पानी और दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित है साथ ही कृषक को 35 से 40 क्विटल चने की फसल प्राप्त होने का अनुमान है।

आईडब्लूएमपी परियोजना क्र. 23

विकासखंड रहली के अन्तर्गत संचालित परियोजना क्र. 23 का स्वीकृत क्षेत्रफल 5860 हेक्टेयर जिसके अन्तर्गत कुल 11 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। परियोजना की स्वीकृत लागत 702.80 लाख तथा वर्तमान तक परियोजना निधि का कुल व्यय 702.02 लाख है। इस परियोजना प्रारंभ से पूर्व इन 11 ग्राम पंचायतों के 28 ग्रामों में सिचाई के साधन न होने से कृषकों को एक से अधिक फसल प्राप्त नहीं हो पाती थी। ग्राम पंचायतों द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार संपूर्ण परियोजना क्षेत्र में रिज टू वेली के सिंद्धात पर आधारित विभिन्न संरचनाओं का निर्माण ग्राम पंचायतों की भूमि के अनुसार कराये गये। परियोजना निधि से निर्मित संरचनाओं के द्वारा 717. 08 हेक्टेयर अतिरिक्त सिचाई का रकबा बढ़ा है।

ग्राम पंचायत खैजरा गढ़ाकोटा जनपद पंचायत रहली

सागर जिले की रहली जनपद का खैजरा गढ़ाकोटा का क्षेत्र परियोजना क्र. 23 एवं 25 के अन्तर्गत आता है। ग्राम पंचायत खैजरा गढ़ाकोटा के अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम चरखारी, घोनो तथा खैजरा हैं। इस ग्राम पंचायत के प्रमुख नाले विकासखंड की प्रमुख सुनार नदी से मिलते है। ग्राम के अन्तर्गत मृदा कटाव, असमतलीय जमीन प्रमुख समस्या रही है। परियोजना क्रमांक 23 से कुल 347 हेक्टेयर उपचारित हुआ है, इसी प्रकार परियोजना क्र. 25 से 752 हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित हुआ है।

ग्राम पंचायत खैजरा गढ़ाकोटा के प्रधान बताते है किए पहले पूरा गांव असिंचित था। छोटे किसान कुछ नहीं कर पाते थें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से निर्मित खेत तालाबों के कारण आज गांव का भूजल स्तचर तो बढा ही है साथ में किसानों की उपज में उल्लेखनीय बढी है। अब किसान अन्य व्यवसायों के माध्यम से भी आय अर्जित कर रहा है।

राजेन्द्र प्रसाद खरे,
संकाय सदस्य